हाजीपुर जंक्शन से 55 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

२७६.८३ ग्राम हेरोइन जब्त, एसटीएफ की गुप्त सूचना पर काररवाई, असम से ट्रेन से लाया था

हाजीपुर (आससे)। वैशाली पुलिस ने हाजीपुर जंक्शन के गेट नंबर-2 के पास घेराबंदी कर एक मादक पदार्थ तस्कर को 276.83 ग्राम हेरोइन (कोटा) के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 55 लाख रुपये बताई गई है।

सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशानिर्देश पर जिले में मादक पदार्थ के सेवन एवं बिक्री पर रोकथाम तथा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन नीलकंठ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर थाना को एसटीएफ, हाजीपुर से गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति असम से ट्रेन के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर हाजीपुर आने वाला है।

सूचना के सत्यापन के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर-1 सुबोध कुमार के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष ने दंडाधिकारी के रूप में कनीय अभियंता, नगर परिषद के साथ त्वरित कार्रवाई की। टीम ने जंक्शन पर निगरानी के बाद संदिग्ध को दबोचा। तलाशी में उसके पास से हेरोइन के अलावा नगद, मोबाइल, आधार कार्ड और रेलवे टिकट भी बरामद हुआ।



पूछताछ में अभियुक्त ने मादक पदार्थ लाने और बेचने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही है। इस संदर्भ में नगर थाना कांड संख्या-1069/26 दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। गिरफ्तार अभियुक्त अमरेश कुमार, पिता- स्व. बुद्धू राय, साकिन- नयागंज सोनार टोली, थाना- देसरी, जिला- वैशाली। बरामदगी में हेरोइन 276.83 ग्राम, नगद 3170 रुपये, मोबाइल-02, आधार कार्ड-02, रेलवे टिकट-01।

चार ठिकानों पर बिजली चोरी पकड़ी गयी

महुआ (आससे)। गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिनों को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की टीम ने महुआ थाना क्षेत्र के चार अलग-अलग स्थानों पर विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध छापेमारी की। छापेमारी में चारों जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिससे विभाग को कुल लगभग 3,66,729 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है।छापेमारी दल में सहायक विद्युत अभियंता एसटीएफ हाजीपुर प्रवीर कुमार, संजय कुमार, मानवबल राजेश कुमार गिरि, मनोहर कुमार, संजीव कुमार और भोला कुमार सिंह शामिल थे। दल का नेतृत्व कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा महुआ के निर्देश पर किया गया। पहली कार्रवाई महुआ सिंहाराय वार्ड-16 में दोपहर करीब 1:35 बजे हुई। यहां मीटर से पहले सर्विस तार को काटकर बाईपास कर विद्युत चोरी की जा रही थी। विभाग को बकाया और भारित राशि मिलाकर करीब 3,06,439 रुपये की क्षति हुई। दूसरी कार्रवाई शर्मा वार्ड-03 में करीब 2:15 बजे हुई। यहां बिना मीटर के ही टोका फंसाकर विद्युत चोरी की जा रही थी। इसमें विभाग को करीब 9,585 रुपये की क्षति का आकलन किया गया।तीसरी कार्रवाई कुशहर खास वार्ड-10 में करीब 3:05 बजे हुई। यहां बकाया राशि का भुगतान किए बिना और बिना रिकनेक्शन रसीद के मेन एलटीडी तार से तार जोड़कर 110 वाट श्रेणी में विद्युत चोरी की जा रही थी। विभाग को करीब33,824 रुपये की क्षति हुई। चौथी कार्रवाई चककाजीनियाज वार्ड-13 में करीब 4:40 बजे हुई। यहां मीटर से पहले सर्विस तार को काटकर बाईपास कर विद्युत चोरी की जा रही थी। इसमें विभाग को करीब 16,881 रुपये की क्षति हुई। सभी चार मामलों में कनीय विद्युत अभियंता सुशांत कुमार की ओर से महुआ थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। सभी के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

सं. सीओएम/पीयूबी/पीआरओ/ई-ऑक्शन/2026 दिनांक: 02.11.2026

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए आईआरईपीएस पोर्टल के जरिए वेबसाइट www.ireps.gov.in के माध्यम से खुली ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। इसका विवरण निम्नानुसार है: **ई-नीलामी कैटलॉग सं.: एएसएन-पीएआरसी-171026, नीलामी शुरू होने की तिथि:** 17.11.2026, 12.00 बजे। **नीलामी की कैटेगरी:** पार्सल जगह (एसएलआर) को लीज पर देना। **ट्रेन नं. एवं एसएलआर :** 19436 आसनसोल-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, एफएसएलआर-1; सभी प्रत्याशित बोलीदाताओं को उपर्युक्त सूची के अनुसार उक्त ई-नीलामी के संपूर्ण विवरण एवं भाग लेने के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in देखने की सलाह दी जाती है। ASN-309/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-03/2024 के अंतर्गत प्रतिवेदन पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2025 एवं 30.06.2025 को आयोजित आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं मापदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए योग्य नहीं पाया गया है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

कर्तव्य में अनियमितता पर महिसौर थानाध्यक्ष निलंबित, जांच अपर एसपी को

हाजीपुर (आससे)। कर्तव्य निर्वहन में अनियमितता और संदिग्ध आचरण के आरोप में महिसौर थाना की थानाध्यक्ष पु.अ.नि. चांदनी कुमारी सांवरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, वैशाली कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के प्रथम दृष्टया अवलोकन में गंभीर तथ्य सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने निलंबन का आदेश जारी किया। साथ ही आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और विस्तृत जांच का दायित्व अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), वैशाली को सौंपा गया है। जांच में सभी पक्षों के बयान, दस्तावेज और साक्ष्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को पुलिस व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



शालिग्राम सिंह अशांत को दी गयी काव्यांजलि

बोले वक्ता- रचनाकार जाता है, रचनाएं अमर रहती हैं, गजल की दुनिया का बादशाह कहकर किया याद

हाजीपुर (आससे)। शहीद महेश्वर संस्थान सोनपुर में मंगलवार को स्मृति शेष वरिष्ठ कवि, साहित्यकार एवं गजलकार शालिग्राम सिंह अशांत की स्मृति में श्रद्धांजलि एवं काव्यांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गणमान्य लोगों और साहित्यकारों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ गजलकार सीताराम सिंह ने की।

मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी ने कहा कि अशांत छंदबद्ध कवि थे, जिनकी रचनाएं महाकवि की कोटि में रखी जा सकती हैं। उनके गीत श्रोताओं के हृदय में धड़कते थे। ऐसे गीत लिखने वाले विरल व्यक्तित्व के गीतकार थे। आलोचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी अलग पहचान थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

अतिथि वक्ता माधव राय ने कहा कि जब रचनाकार इस धराधाम को छोड़कर जाता है, तब दुनिया उसे अपनी तराजू पर तौलती है। अशांत के जीवन में वही ऊंचाई देखने को



मिलती है, उनका पलड़ा भारी निकला। अध्यक्षीय संबोधन में सीताराम सिंह ने उन्हें विरल व्यक्तित्व का धनी और गजल की दुनिया का बादशाह बताया।

दूसरे सत्र में काव्यांजलि हुई। हरिविलास राय ने 'जागीर नहीं है यहां किसी का, सब मंजिल के राही हैं' सुनाकर जीवन का यथार्थ दर्शाया। आशुतोष कुमार सिंह ने 'तेरे प्रस्थान का अब समय हो रहा है, चल मुसाफिर तू अपना सामान बांध ले' सुनाया। नंदेश्वर प्रसाद सिंह, डॉ. शिवक राय प्रभाकर, डॉ. अशोक कुमार सिंह, वीरमणि राय, ताकेश्वर सिंह, मिथिलेश सबलपुरी, सुषमा कुमारी, शंभू शरण मिश्र, विजय कुमार सिंह और सारंगधर सिंह ने भी रचनाओं से श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रो. राजकिशोर सिंह, प्रो. अरुण कुमार यादव, डॉ. पप्पू कुमार राय, टीपन प्रसाद यादव, अमर कुमार सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में पुस्तकालय सचिव अच्युत नंदन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-01/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 29.01.2024 से 15.02.2024 तथा दिनांक 29.11.2024 से 13.12.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पुन: ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 07.11.2026 (11:00 बजे पूर्वा.) से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.11.2026 है। जो अभ्यर्थी इस पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट https://vidhansabha.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

वर्गीकृत

शपथ पत्र

मैं निहारिका देवी (NIHARIKA DEVI) पति-नन्द किशोर सिंह निवास-अरक थाना-कृष्णाब्रह्म जिला बक्सर बिहार 802111 शपथ पत्र संख्या-19308 दिनांक 28-10-26 एवं 19476 दिनांक 2-11-26 के द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र आनन्द प्रताप सिंह (ANAND PRATAP SINGH) वर्ग-नवम एवं अमूल्य प्रताप सिंह (AMULYA PRATAP SINGH) वर्ग -आठ के स्कूल संत कैरेन्स कालेजियेट स्कूल बिहटा के पंजी में मेरा नाम निहारिका सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है मेरी सही नाम निहारिका देवी है। CN.-7792

शपथ पत्र

मैं, अमरनाथ वर्मा, पिता-स्व. बद्री लाल वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, वर्तमान एवं स्थायी निवासी वर्मा हाउस, वृंदावन कॉलोनी, गली नं.-8, कृष्णा पथ, (SBI) ट्रांसपोर्टनगर ब्रांच के नजदीक, वार्ड नं. -55, कुम्हरार, थाना-अगमकुआं, पोस्ट ऑफिस-बी.एच. कॉलोनी, पटना, बिहार-800026 है। यह कि मेरे सगा बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका सही नाम Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) और जन्म तिथि दर्ज है। यह कि गलती और अज्ञानतावश मेरे बेटे के आधारकार्ड पर उसका नाम त्रुटिवश Shree Narayan (श्री नारायण) दर्ज हो गया है। यह कि Shiv Narayan Verma और Shree Narayan दोनों एक ही बच्चे (मेरे बेटे) के नाम हैं और भविष्य में उसे केवल Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) के नाम से ही जाना और पहचाना जाये। शपथ पत्र सं. 32 ता. 3.11.26

शपथ पत्र

मैं, हसीन अख्तर पिता शेख वाजुल हक, निवासी ग्राम मस्था ताहिर वार्ड नंबर-13 थाना वो अंचल-बैरगनिया, अनुमंडल सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूं। मेरा आधार नंबर 9434 1674 4280 है। मेरा नाम आधार कार्ड में हसीन अख्तर एवं मौजा मरपा ताहिर के दस्तावेज नंबर 1110 में मेरा नाम मो0 शमीम अख्तर है मैं दोनों नाम से जाना जाता हूं। हसीन अख्तर एवं मो. शमीम अख्तर दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं हूं। मेरे पिता का नाम मो. वाजुल हक एवं शेख वाजुल हक है मेरे पिता दोनों नाम से जाने वो पहचाने जाते है। जो मेरे पिता है। शपथ पत्र संख्या -78690/ 26 है।

शपथ पत्र

मैं, शैरु निशा पति मोहम्मद खुरसैद, ग्राम शंभू नगर, वार्ड नंबर 01, पोस्ट थुम्मा, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला सीतामढ़ी की हूं। यह कि मेरे बच्चे का नाम मार्कशीट में अताउल्लाह है जबकि आधार कार्ड में मोहम्मद अताउल्लाह अंकित है जो गलत है। शपथ पत्र संख्या 79497/ 26 है।

जन्म तिथि परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार शर्मा, पुत्र कृपाल मिस्त्री, निवास-भागवती कॉलोनी, पीपरा रोड, परसा बाजार, पो.-परसा, जिला-पटना (बिहार) 804453 शपथ पत्र सं. 19701 ता. 4.11.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि अभय कुमार मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में जन्मतिथि 20.5.2011 दर्ज है, जो गलत है। मेरे पुत्र का सही जन्म तिथि 20.5.2013 है, जो उसके आधारकार्ड में दर्ज है।

रसीद सं. 990

Change Name

I, Satyendra Ray S/o Ram Jatan Ray R/o vill.- Darihara Chaturbhuj P.O.-Darihara P.S.-Dariyapur Distt.-Saran (Bihar) vide Affidavit No. 11193 date 2.11.26 My name is per my Aadhar card is Satish Kumar Yadav. That my name as per my Indian Passport is Satyendra Ray. That Now I will be known as Satyendra Ray for all purposes.

नाम परिवर्तन

मैं, जैतून ज्योति, पिता-कौशल आलम, निवास नं.-बी/149, बुद्धा कॉलोनी थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना (बिहार)-800013 शपथ पत्र सं. 6085 तारीख 13.10.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट में गलती से मेरा नाम जतिन ज्योति (Jatin Jyoti) हो गया है जबकि मेरे आधारकार्ड में जैतून ज्योति और बांकी सारे सर्टिफिकेट में जैतून ज्योति ही है, जो कि सही एवं सत्य है। अत: मैं ही जैतून ज्योति और जतिन ज्योति हूं। दोनों मेरा ही नाम है तथा जैतून ज्योति के नाम से भविष्य में जानी तथा पहचानी जाऊंगी।

शपथ-पत्र

मैं, प्रमिला देवी, पति लाल बाबू राय, ग्राम मोलाहा, पोस्ट अरबिंद नगर, थाना दरियापुर, वार्ड नं.-05, जिला छपरा सारण बिहार-841221 शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरी सुपुत्री तान्वी कुमारी है जिसका आधार कार्ड पर नाम सुरभि कुमारी है जो की गलत है। मेरी सुपुत्री का सही नाम सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्र के अनुसार तान्वी कुमारी है। सुरभि कुमारी ओर तान्वी कुमारी दोनों नाम एक ही व्यक्ति (लड़की) से सम्बंधित है जो कि मेरी सुपुत्री है। आज से मेरी पुत्री तान्वी कुमारी के नाम से जानी जाएगी। 17060/2-11-26

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

बीते माह 883 अपराधी जेल भेजे गये

11 हजार लीटर से अधिक शराब बरामद

हाजीपुर(आससे)। वैशाली पुलिस ने बीते अक्टूबर माह में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध जिले के सभी थानों में समकालीन विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की। इस अभियान में कुल 883 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए थाना स्तर पर लगातार छापेमारी, वाहन जांच और वारंट निष्पादन की कार्रवाई की गई।

जिले में संगीन अपराधों के विरुद्ध हुई कार्रवाई में हत्या के कांड में 15, बलात्कार में 01, एससी/एसटी एक्ट में 09, दहेज हत्या में 09, पॉक्सो एक्ट में 01, लूट में 13, अपहरण में 06, हत्या के प्रयास में 72 और चोरी में 65 अभियुक्त पकड़े गए। एनडीपीएस एक्ट में 35 और आर्म्स एक्ट में 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधिनियम के तहत 313, वारंट में 279 और विविध कांडों में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इस अवधि में कुल 1459 वारंट, कुर्की और इश्तेहार का निष्पादन किया गया, जिससे लंबे समय से फरार चल रहे कई अभियुक्त कानून की गिरफ्त में आए।

हथियारों की बरामदगी भी अभियान की बड़ी उपलब्धि रही। पुलिस ने 11 अवैध आग्नेयास्त्र, 44 कारतूस, 37 खोखा और 02 मैगजीन जब्त किए। वाहन चेकिंग के दौरान नियम उल्लंघन में 39,15,500 रुपये शमन के रूप में वसूले गए। अन्य बरामदगी में नगद 6,77,250 रुपये, स्मैक/कोटा/हेरोइन 0.60194037 किलोग्राम, गांजा 134.35372 किलोग्राम, नशीला इंजेक्शन 2.81 लीटर, सिरप 80 लीटर, मोबाइल 32, दो पहिया वाहन 31, चार पहिया वाहन 11, तीन पहिया वाहन 06, ट्रक 01, चांदी जैसा ठोस पदार्थ 01 किलोग्राम, सोने जैसा नाक का टॉप 23 पीस, पटाखा 1176 किलोग्राम एवं अन्य सामान शामिल है।

दिशा की बैठक में विधायक महेंद्र राम ने उठाये क्षेत्र के मुद्दे

हाजीपुर। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र राम ने हाजीपुर समाहरणालय में आयोजित दिशा की बैठक में अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों राजापाकर, देसरी और सहदेई की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया और उनके समाधान की मांग की।

विधायक ने कहा कि सहदेई प्रखंड में खड़कपुर से आजमपुर तक गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने हेतु अविलंब बोल्डर पिचिंग कराई जाए। सहदेई बुजुर्ग प्रखंड मे एसएफसी गोदाम से एजीएम, ट्रांसपोर्टर एवं स्टाफ द्वारा डीलरों को मनमानी तरीके से राशन बेचने का दबाव बनाने, कम राशन की आपूर्ति एवं घटिया राशन आपूर्ति की जांच कर कार्रवाई की जाए। राजापाकर प्रखंड के एसएफसी गोदाम संचालक, एजीएम द्वारा डीलरों को कम और घटिया राशन आपूर्ति की भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।

उन्होंने हाजीपुर-महनार-बछवारा रोड संख्या 122 बी के निर्माण कार्य में तेजी लाने और देसरी स्टेशन के ढाला नंबर 35 ए पर अविलंब आरओबी का निर्माण कराने की मांग की। मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन विस्फोट में राजापाकर प्रखंड के घायल जदयू प्रखंड अध्यक्ष अवधेश राय, चालक रणधीर राय, अमरजीत कुशवाहा और अशोक राय का समुचित इलाज जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर से कराने एवं उन्हें समुचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की।

पेड़ से लटका मिला किशोर का शव, गांव में मचा कोहराम

महुआ (आससे)। महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मगूराही पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित शर्मा गांव में बुधवार को एक 14 वर्षीय किशोर का शव घर के सामने पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी उमाशंकर राय के 14 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार के रूप में हुई है।



घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वहीं गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर महुआ थानाध्यक्ष अरविंद प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।बताया जाता है कि मोनू दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। वह आठवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता उमाशंकर राय चेन्नई में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के बाद मां पूनम देवी, बड़ा भाई सोनू कुमार तथा दोनों बड़ी बहनें अंशु कुमारी और शिवानी कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के सदस्यों के करुण क्रंदन से गांव का माहौल गमगीन हो गया। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आगामी कोहरे से भरे मौसम के दौरान ट्रेनों का निरस्तीकरण

आगामी कोहरे से भरे मौसम से निपटने के लिए, नीचे उल्लेखित ट्रेनें निम्नानुसार निरस्त रहेंगी:-

सम्पूर्ण निरस्तीकरण

13035/13036 हावड़ा-देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस

- **13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 01/12, 04/12, 08/12, 11/12, 15/12, 18/12, 22/12, 25/12, 29/12/2026, 01/01, 05/01, 08/01, 12/01, 15/01, 19/01, 22/01, 26/01, 29/01/2027, 02/02, 05/02, 09/02, 12/02, 16/02, 19/02, 23/02 एवं 26/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 02/12, 05/12, 09/12, 12/12, 16/12, 19/12, 23/12, 26/12, 30/12/2026, 02/01, 06/01, 09/01, 13/01, 16/01, 20/01, 23/01, 27/01, 30/01/2027, 03/02, 06/02, 10/02, 13/02, 17/02, 20/02, 24/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।

फेरे में कटौती

13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस

- **13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 06/12, 13/12, 20/12, 27/12/2026, 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01/2027, 07/02, 14/02, 21/02 एवं 28/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 08/12, 15/12, 22/12, 29/12/2026, 05/01, 12/01, 19/01, 26/01/2027, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02/2027 एवं 02/03.2027) निरस्त रहेंगी।

12357/12358 कोलकाता-अमृतसर-कोलकाता दुर्गनिया एक्सप्रेस

- **12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गनिया एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 05/12, 12/12, 19/12, 26/12/2026, 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01/2027, 06/02, 13/02, 20/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गनिया एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 07/12, 14/12, 21/12, 28/12/2026, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01/2027, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02/2027 एवं 01/03/2027) निरस्त रहेंगी।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

मशाल कार्यक्रम में कबड्डी और 100 मीटर दौड़ का अभ्यास

महुआ (आससे)। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुकसूदपुर ताज, प्रखंड महुआ, जिला वैशाली में मशाल कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का अभ्यास कराया गया एवं 100 मीटर दौड़ का पूर्व अभ्यास किया गया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं में रवीना कुमारी, अनु कुमारी, आरुषी कुमारी, अमृता कुमारी, संजना कुमारी, संध्या कुमारी सहित विद्यानंद, आयुष, जयेश आदि छात्रों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान सभी बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का विधिवत संचालन नोडल शिक्षक सुनील कुमार एवं ज्योति प्रसाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक विकास नारायण, संदीप कुमार, शाइस्ता परवीन, फरजाना अब्बास, विद्यालय शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर राम एवं शिक्षा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि भारत के भविष्य नौनिहाल छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए खेल का आयोजन किया गया। पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी अनिवार्य है, ताकि बच्चे स्वस्थ और स्वच्छ रह सकें।भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के हर प्रदेश और हर विद्यालय में इसका आयोजन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



भीड़ देख भागा तस्कर, 50 लीटर शराब बरामद

हाजीपुर। राजापाकर थाना क्षेत्र के बाकरपुर-सरमस्तपुर तीन मुहानी के पास अवैध शराब कारोबारी लोगों की भीड़ देख 50 लीटर अवैध देशी शराब एवं बाइक छोड़कर फरार हो गया। बभनी मठ ओपी में पदस्थापित एएसआई विपिन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि तीन मुहानी के पास सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल और एक बोरी में अवैध देशी शराब पड़ी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे एक स्प्लेंडर बाइक एवं पीले रंग के प्लास्टिक की बोरी में शराब मिली। तलाशी में बोरी के अंदर से 10-10 लीटर के पांच पॉलीथीन बरामद हुए। ग्रामीणों ने बताया कि बिदुपुर की ओर से एक युवक स्प्लेंडर बाइक पर शराब लेकर आ रहा था। तीन मुहानी के पास भीड़ देखते ही वह बाइक और शराब छोड़कर भाग गया। राजापाकर थाने में अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

छठ से पहले कालीघाट की संवर रही सूरत

महुआ (आससे)। छठ महापर्व से पहले महुआ नगर परिषद क्षेत्र के कालीघाट पर बुधवार को सफाई अभियान शुरू हुआ। सफाईकर्मी घाटों पर उगी घास और आसपास फैला कचरा हटा रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी सोनू कुमार राय के निर्देश पर सफाई पर्यवेक्षक सुनील कुमार की अगुवाई में टीम सफाई कर रही है। टीम में चंदन मांझी, सतीश मांझी, दिलीप मांझी, अमरजीत मांझी, चंदेश्वर राम, विनोद राम और सकल राम समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वे कुदाल और खुरपी से घास हटा रहे हैं। सोनू कुमार राय ने बताया कि छठ से पहले सभी तैयारियां पूरी की जाएंगी। कालीघाट पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पूजा करने पहुंचती हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त चेंजिंग रूम, रोशनी और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। नदी की सफाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी छठ घाटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, नीचे साइन करने वाले, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के ऑथराइज़्ड ऑफिसर होने के नाते, सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफ़ोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (54 ऑफ़ 2002) ("कहा गया एक्ट") के तहत टेबल ("आर्किल") में बताए गए ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफ़ोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("कहे गए रूल्स") के रूल 3 के साथ पढ़े गए उक्त एक्ट के सेक्शन 13 (12) के तहत मिली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, एक डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें बॉरोअर(स), गारंटर और मॉर्टगेजर से अमाउंट वापस करने के लिए कहा गया है, जिसकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई हैं:

कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर ने बताई गई रकम वापस नहीं की है, इसलिए कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर को खास तौर पर और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे साइन करने वाले ने, उसे दिए गए एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई तारीख को "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर, नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी पर फिजिकल कब्ज़ा कर लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और गारंटर और LAN	13(2) नोटिस की तिथि एवं राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	कर्जदार: श्री/श्रीमती श्याम कुमार, श्री/श्रीमती अवधेश भगत, श्री/श्रीमती अनीता देवी (HL25MUZ000078279) आर्किल-ट्रस्ट-2026-013	एचएल/एलएपी सुविधा के संबंध में 22-01-2026 तक रु.1262897/- (केवल बारह लाख बासठ हजार आठ सौ सत्तानवे रुपये), भुगतान/प्राप्ति तक आगे के ब्याज और शुल्कों के साथ, साथ में सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क और व्यय। नोटिस की तारीख: 27.01.2026	02.11.2026 को प्रतीकात्मक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का मालिकाना हक: मौज़े-बेरुआ टोले चोनिरया, थाना-गयाघाट, थाना नंबर-150, खाता नंबर-1093,457, सर्वे नंबर 437/5788,449,448, अंचलगयाघाट, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-843118, साइट/असलियत के हिसाब से: उत्तर - सिमन / रास्ता, दक्षिण - रास्ता, पूरब - प्रमानंद भगत, पश्चिम - रास्ता थेन एमडी इस्लाम/मकसूद / मकबूल। डीड के हिसाब से: उत्तर - रास्ता कच्ची/क्रेटा, दक्षिण - क्रेता खेवाला/रास्ता, पूरब - हिस्सा फारिक प्रमानंद भगत, पश्चिम-मकबूल और मकसूद

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल ऊपर वर्णित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा सौदा / अलग नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार ऊपर वर्णित राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंध की दर पर भविष्य का ब्याज भी लगेगा।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जगह: बिहार
दिनांक: 02.11.2026

ह/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(आर्सिल ट्रस्ट के ट्रस्टी - ARCIL-TRUST-2026-013)

Arcil Premier ARC
प्रीमियर एआरसी

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
CIN - U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
रजिस्टर्ड ऑफिस: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028. तेल: +91 2266581300